मुकदमा संख्या 01/2024
अनवानः– भाखराराम बनाम ग्राम पंचायत अरणाय
निर्णय तारीखः– 19.09.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01/2024 **जीसीएमएस अपील संख्या 2024/72**

अपीलान्ट्स

स्वर्गीय गेना वल्द प्रहलादजी जाति विश्नोई के कायम।

1. भाखराराम पुत्र गेनाजी।
2. मोहनलाल पुत्र गेनाजी।
3. बुधाराम पुत्र भाखराराम जातियान विश्नोई निवासीगण हनुवंतनगर, अरणाय तहसील सांचौर जिला जालोर।

रेस्पोडेण्ट्स

1. ग्राम पंचायत अरणाय, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अरणाय।
2. हरिराम पुत्र धुकलाराम जाति विश्नोई निवासी हनुवंतनगर, अरणाय तहसील सांचौर जिला जालोर।

अपील बनाराजगी आदेश सरपंच ग्राम पंचायत अरणाय के म्युटेशन संख्या 237/2004, अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट्स अधिवक्ता श्री बाबूलाल पालड़िया।
2. रेस्पोडेन्ट्स 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रतापाराम विश्नोई।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः– 19.09.2025

1. अपीलांट्स द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– ग्राम अरणाय (वर्तमान राजस्व ग्राम हनुवंतनगर), तहसील सांचौर में अपीलार्थीगण [illegible] पिता गेना पुत्र प्रहलाद विश्नोई के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 15 [illegible] रकबा [illegible] हैक्टर (किस्म बारानी प्रथम) स्थित है। अपीलार्थी क्रमांक 01 व 02 स्व. गेना के उत्तराधिकारी पुत्र हैं, जबकि अपीलार्थी क्रमांक 03 ने स्व. गेना के पुत्र सुखराम से उसका आधा हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। शेष आधा हिस्सा अपीलार्थी क्रमांक 02 ने क्रय किया है। स्व. गेना ने अपने जीवनकाल में दिनांक 20.06.2002 को उक्त खेत में से रकबा 0.96 हैक्टर (लगभग 6 बीघा) भूमि प्रतिवादी क्रमांक 02 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

विक्रय की, जिसकी रजिस्ट्री उप–पंजीयक सांचोर कार्यालय में पंजीकृत हुई (पुस्तक 01, जिल्द 150, क्रमांक 469/2002, पृष्ठ 144) ग्राम पंचायत अरणाय ने उक्त रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन क्रमांक 237/2004 दिनांक 19.10.2004 दाखिल कर पारित किया, किंतु अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विक्रित भूमि का बंटवारा व तरमीम कर नवीन खसरा नम्बर 2286/1564 रकबा 0.96 हैक्टर दर्ज कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा किया गया यह बंटवारा विधि, वाक्य एवं प्रक्रिया के विपरीत है, क्योंकि कृषि भूमि का विभाजन केवल तहसीलदार या सहायक कलेक्टर की राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है (धारा 53, राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम 1955) साथ ही, उक्त म्यूटेशन ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के बिना, केवल सरपंच द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना हुई। अपीलार्थीगण को इस कार्यवाही की जानकारी 01.02.2024 को नकल प्राप्ति के समय हुई, अतः यह अपील नियत म्याद में प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि मातेहत ग्राम पंचायत अरणाय द्वारा पारित म्यूटेशन क्रमांक 237/2004 को विधिनुसार अवैध घोषित कर अपास्त किया जाए।

2. अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस को समन जारी किये गए। रेस्पोडेण्ड्स संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रतापाराम विश्नोई उपस्थित।

3. रेस्पोडेण्टस संख्या 1 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। रेस्पोडेण्टस संख्या 2 की ओर से पेश जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि फिकरा संख्या 1 के संबंध में मौजा हनुवंतनगर (पटवार हल्का अरणाय) के खेत खसरा नं. 1564 रकबा 4.69 हैक्टर की खातेदारी स्वर्गीय गेना पुत्र प्रहलाद विश्नोई अकेले के नाम थी। प्रतिवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 20.06.2002 को उक्त खेत में से 0.96 हैक्टर भूमि ₹65,000/– में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। यह भूमि निम्न पड़ौसों के बीच स्थित है।

उत्तर में बाबू व मगा मेघवाल का खेत
दक्षिण में शेष खेत भाग
पूर्व में गैर मुमकिन गोचर भूमि
पश्चिम में शेष खेत भाग

यह भूमि प्रतिवादी की खरीदसुदा एवं कब्जासुदा है। ग्राम पंचायत अरणाय ने नामांतरण संख्या 237/2004 दिनांक 19.10.2004 विधिवत स्वीकृत कर प्रतिवादी के नाम दर्ज किया। पंचायत ने नामांतरण करते समय कोई कानूनी भूल नहीं की। अपीलार्थी की अपील निराधार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर (जालोर)

फिकरा संख्या 2 के संबंध में खसरा नं. 1564 स्व. गेना की एकल खातेदारी थी। उन्होंने प्रतिवादी क्रमांक 2 को ₹65,000/– में 0.96 हैक्टर भूमि विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया। उक्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा व आवासीय ढाणी विद्यमान है। नामान्तरकरण संख्या 237/2004 विधिवत रूप से स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

फिकरा संख्या 3 के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 237/2004 नियमों के अनुसार विधिवत स्वीकृत किया गया। अतः अपील निराधार होकर खारिज योग्य है।

फिकरा संख्या 4 के संबंध में नामान्तरकरण से पूर्व पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः अपील खारिज की जाए।

फिकरा संख्या 5 के संबंध में नामान्तरकरण से पूर्व मौके पर कब्जे का सत्यापन कर विधिवत स्वीकृति दी गई। अतः अपील खारिज की जाए।

फिकरा संख्या 6 के संबंध में ग्राम पंचायत ने पक्षकारों की सुनवाई व मौके की जांच कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। अतः अपील खारिज की जाए।

5. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी अपील में बताया कि ग्राम पंचायत अरणाय ने अपीलाधीन म्यूटेशन ग्राम पंचायत अरणाय के प्रस्ताव से पारित किये बिना एवं अपीलार्थीगण को सुने बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत द्वारा विवादित बैचाननामा तारीख 20.06.2002 के उल्लेखित पड़ोस से भिन्न स्थान पर एकपक्षीय रूप से मर्जी माफिक तरमीम करने में भारी भूल की है जिस पर पत्रावली का अवलोकन करने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत अरणाय द्वारा अपील में उक्त तथ्यों को खण्डन करने बाबत् न तो किसी प्रकार का जवाब पेश किया गया तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया कि जिससे यह प्रतीत हो कि नामान्तरकरण संख्या 237 सही तरीके से तथा प्रस्ताव पारित कर स्वीकृत किया गया हो तथा बैचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण सही भरा गया या नहीं राजस्व एजेन्सी द्वारा ही तय किया जा सकता है अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की [illegible] तथा ग्राम अरणाय का नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 19.10.2004 का [illegible] किया जाता है तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज [illegible] प्रभाव शून्य घोषित किये जाते है। तहसीलदार सांचौर को आदेश दिए जाते हैं कि [illegible] पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलांट/विधिक वारिसानों के नाम बाद जांच

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:34 IST
Reason: SelfAttested

नामांतरकरण स्वीकृत करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सांचौर को भेजी जावें। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णय शुमार नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:07:34 IST
Reason: SelfAttested